



संदर्भ सं. राबैं.एमसीआईडी / 2215 / डीएवाइ -एनआरएलएम-पॉलिसी / 2018 -19

परिपत्र सं : 07 / एमसीआईडी- 01 / 2019

03 जनवरी 2019

प्रबंध निदेशक

सभी राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

दीनदयाल अंत्योदय योजना -एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज सबवेन्शन स्कीम- वर्ष 2018 -19 – शुद्धिपत्र

कृपया संबन्धित विषय पर हमारे 14 दिसम्बर 2018 के परिपत्र सं.एनबी.एमसीआईडी / 2069 / डी ए वाइ - एनआरएलएम-पॉलिसी / 2018 -19 का संदर्भ लें. इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्र के पैरा 3 को निम्नानुसार पढ़ा जाए.

“ 3. कैटेगरी - I (250 जिलों की सूची अनुबंध II के अनुसार) के जिलों के लिए ब्याज सबवेन्शन के दावे निर्दिष्ट फॉर्म (अनुबंध III एवं III A) में 30 जून 2018 एवं 30 सितम्बर 2018 को समाप्त तिमाही तक के लिए शीघ्र अग्रसारित करें.”

2. परिपत्र के अनुलग्नक कि सभी शर्तें यथावत है.

भवदीय

(के वेंकटेश्वर राव)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

सूक्ष्म ऋण नवप्रवर्तन विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0084, • फ़ैक्स: +91 22 2652 8141 • ई मेल: mcid@nabard.org

Micro Credit Innovations Department

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0084• Fax: +91 22 2652 8141 • E-mail: mcid@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward